Pariksha Saathi — दैनिक करंट अफेयर्स

11 नवंबर 2026 • हिंदी

SSC CGL • CHSL • MTS • IBPS PO/Clerk • SBI PO/Clerk • RRB — 8 खबरें + 5 प्रश्न • स्रोत: PIB (सभी खबरें आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों से)

1 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली स्थित नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में 3,230 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 'युगे युगीन भारत म्यूजियम' के विकास को मंजूरी दी

Cabinet approves development of the Yuge Yugeen Bharat Museum at the North and South Block Complex, New Delhi, at an estimated cost of ₹3,230 crore

SSC • Railway • General

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 11 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में 'युगे युगीन भारत म्यूजियम' (वाईवाईबीएम) के विकास को मंजूरी दी। इस परियोजना की अनुमानित कुल लागत 3,230 करोड़ रुपये है, जिसका मूल्यांकन सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) ने किया है। इस संग्रहालय की परिकल्पना एक सभ्यतागत संग्रहालय के रूप में की गई है, जो भारत की सभ्यतागत विरासत की निरंतरता, विविधता और समृद्धि को प्रदर्शित करेगा; इसका विकास ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक भवनों की वास्तुशिल्पीय विशेषताओं और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित रखते हुए उनके अनुकूली पुनः उपयोग के माध्यम से किया जाएगा। यह लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर के प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र में विकसित होगा, और रिलीज़ के अनुसार विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संग्रहालयों के मानकों के अनुरूप यह विश्व में सबसे बड़े डिस्प्ले क्षेत्र वाला संग्रहालय होगा। प्रधानमंत्री ने 18 मई 2023 को इस संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की थी, और 27 जुलाई 2026 को सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने इस प्रस्ताव का मूल्यांकन किया। परियोजना को वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा; नॉर्थ ब्लॉक में अलंकरण थीम पर आधारित पहली उद्घाटन दीर्घा के वर्ष 2027 के उत्तरार्ध में आम जनता के लिए खुलने की संभावना है। राष्ट्रीय संग्रहालय और संस्कृति मंत्रालय के अन्य संग्रहालयों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के 52 स्थल संग्रहालयों, राज्य संग्रहालयों और निजी संग्रहों से लगभग 1.8 मिलियन कलाकृतियों की पहचान की गई है, और अन्य दीर्घाओं का विकास वास्तुकला एवं नगर परिदृश्य, गणित एवं खगोल विज्ञान, भाषाएं एवं लिपियां तथा आस्था एवं आध्यात्मिकता जैसी थीमों पर किया जा रहा है। रिलीज़ के अनुसार संग्रहालय को प्रतिवर्ष 1 करोड़ आगंतुकों को संभालने में सक्षम बनाया जा रहा है, और इसके निर्माण और प्रचालन दोनों चरणों में रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2334961

2 कैबिनेट ने फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर रबी 2026-27 (01.10.2026 से 31.03.2027 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दी; संभावित बजटीय आवश्यकता लगभग 62,370.02 करोड़ रुपये

Cabinet approves Nutrient Based Subsidy (NBS) rates for Rabi 2026-27 (01.10.2026 to 31.03.2027) on P&K fertilizers; tentative budgetary requirement about ₹62,370.02 crore

SSC • Banking • Railway • General

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2026 को फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर रबी सीजन 2026-27 (01.10.2026 से 31.03.2027 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दी। रबी 2026-27 के लिए संभावित बजटीय आवश्यकता लगभग 62,370.02 करोड़ रुपये होगी, जो रबी 2025-26 सीजन की बजटीय आवश्यकता से लगभग 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है; रबी 2025-26 के लिए बजट 37,952.29 करोड़ रुपये था। डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड सहित पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित और अधिसूचित दरों के अनुसार दी जाएगी। रिलीज़ के अनुसार इस निर्णय से किसानों को रियायती, सस्ती और उचित कीमतों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, और उर्वरकों तथा यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर जैसे इनपुट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल के रुझानों को देखते हुए पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाया गया है। सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर डीएपी सहित पीएंडके उर्वरकों के 28 ग्रेड उपलब्ध करा रही है, और पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी 01.04.2010 से एनबीएस योजना द्वारा नियंत्रित होती है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2334972

3 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को 31.03.2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी

Cabinet approves continuation of the Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU) up to 31.03.2031 with a corpus of ₹5,000 crore

SSC • Banking • Railway • General

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2026 को सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को 5,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ 31.03.2031 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी। इस योजना के तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत दिए गए ऋणों में चूक के जोखिम के विरुद्ध ऋण गारंटी कवर उपलब्ध कराया जाता है। यह निधि पीएमएमवाई के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक के ऋण, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के खातों में बैंकों द्वारा दी जाने वाली 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, और ऐसे स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को दिए गए ऋणों की गारंटी देती है जिनका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच है। गारंटी शुल्क 1 प्रतिशत वार्षिक से घटाकर 0.75 प्रतिशत वार्षिक किया जाएगा; स्वयं सहायता समूहों के लिए कोई बदलाव नहीं है, उनके लिए पहले वर्ष 0.25 प्रतिशत और उसके बाद के वर्षों में 0.50 प्रतिशत गारंटी शुल्क जारी रहेगा। यह योजना सोलहवें वित्त आयोग के कार्यकाल, अर्थात वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 के दौरान पीएमएमवाई के तहत दिए गए सभी ऋणों पर लागू होगी। रिलीज़ के अनुसार पीएम मुद्रा योजना के शुभारंभ के बाद से सितंबर 2026 तक 43.34 लाख करोड़ रुपये के 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं, और जनवरी 2016 में शुरू की गई सीजीएफएमयू ने पीएमएमवाई ऋणों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार के अनुसार इस विस्तार से अगले 5 वर्षों में 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2334976

4 कैबिनेट ने 4,111 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी कोष के साथ स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31.03.2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी

Cabinet approves continuation of the Stand-Up India Scheme up to 31.03.2031 with a credit guarantee corpus of ₹4,111 crore

SSC • Banking • Railway • General

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2026 को स्टैंड-अप इंडिया योजना को 4,111 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी कोष के साथ 31.03.2031 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों (अजा) और अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, और इसके तहत पांच वर्षों की अवधि में अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। रिलीज़ के अनुसार अप्रैल 2016 में योजना की शुरुआत के बाद से 2.75 लाख से अधिक महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता दी गई है। पात्र ऋण प्राप्तकर्ता विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि-संबद्ध गतिविधियों में नए (ग्रीनफील्ड) उद्यम स्थापित करने वाले महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी हैं। 10.00 लाख रुपये से अधिक और 1.00 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि के लिए समग्र ऋण (कार्यशील पूंजी एवं सावधि ऋण) अथवा सावधि ऋण दिया जा सकता है, जो परियोजना लागत के 85 प्रतिशत तक होगा। ऋण गारंटी कवरेज ऋण राशि का 85 प्रतिशत है और मानक गारंटी शुल्क 0.50 प्रतिशत है। रिलीज़ के अनुसार इस योजना से महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए ऋण तक पहुंच आसान होगी, नए उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2334978

5 भारतीय वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में गहरे समुद्र की शार्क की नई प्रजाति एकिनोराइनस रोइनी (इंडियन ब्रैम्बल शार्क) की खोज की

Indian scientists discover new deep-sea shark species Echinorhinus roinee, the Indian Bramble Shark, in the Indian Ocean

SSC • Railway • Science • Environment • General

पीआईबी कोलकाता द्वारा 11 नवंबर 2026 को जारी रिलीज़ के अनुसार भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) और आईसीएआर-केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-सीएमएफआरआई) के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर से गहरे समुद्र की शार्क की एक नई प्रजाति की पहचान की है। औपचारिक रूप से एकिनोराइनस रोइनी (Echinorhinus roinee) नामित और आम तौर पर इंडियन ब्रैम्बल शार्क कहलाने वाली इस प्रजाति को कई दशकों तक गलती से अटलांटिक ब्रैम्बल शार्क माना जाता रहा। इसके नमूने केरल के कोल्लम जिले के शक्तिकुलंगरा मत्स्य बंदरगाह से एकत्र किए गए, जहां गहरे समुद्र में झींगा पकड़ने वाले ट्रॉलरों द्वारा ये बाय-कैच (अनचाही पकड़) के रूप में लाए गए थे। यह शार्क 350 से 450 मीटर की गहराई वाले महाद्वीपीय ढलान के जल में रहती है और तीन मीटर तक लंबी हो सकती है; इसका शरीर गहरे भूरे से लेकर काले रंग का होता है, जो कांटे जैसी त्वचीय दंतिकाओं से ढका रहता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बारकोड जीन के आनुवंशिक विश्लेषण से पुष्टि हुई कि यह हिंद महासागर की एक अलग वंश-शाखा है, जो अटलांटिक ब्रैम्बल शार्क (एकिनोराइनस ब्रूकस) और प्रशांत प्रिकली शार्क (एकिनोराइनस कुकी) से भिन्न है, और रिलीज़ के अनुसार इसका वितरण ओमान, श्रीलंका और थाईलैंड के जल क्षेत्रों तक फैला हो सकता है। इस शोध को डीप ओशन मिशन (गहन महासागर मिशन) के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से वित्तीय सहायता मिली, और प्रजाति के टाइप नमूने चेन्नई स्थित जेडएसआई के समुद्री जीवविज्ञान क्षेत्रीय केंद्र में राष्ट्रीय प्राणी संग्रह में रखे गए हैं। प्रजाति का नाम रोइनी जेडएसआई की निदेशक डॉ. धृति बनर्जी की बेटी रोइनी के सम्मान में रखा गया है; डॉ. बनर्जी ने कहा कि यह खोज याद दिलाती है कि भारत की गहरे समुद्र की जैव विविधता का कितना बड़ा हिस्सा अभी ठीक से समझा जाना बाकी है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2334975

6 भारतीय नौसेना 11 से 19 नवंबर 2026 तक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास 'सी विजिल-26' के पांचवें संस्करण का समन्वय कर रही है

Indian Navy coordinates the fifth edition of pan-India coastal defence exercise 'Sea Vigil-26', being held from 11 to 19 November 2026

SSC • Railway • Defence • General

रक्षा मंत्रालय ने 11 नवंबर 2026 को बताया कि अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास 'सी विजिल-26' का पांचवां संस्करण 11 से 19 नवंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका समन्वय प्रमुख एजेंसी के रूप में भारतीय नौसेना कर रही है। यह अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है: 11 से 17 नवंबर 2026 तक तटीय रक्षा एवं सुरक्षा तत्परता मूल्यांकन (सीडीएसआरई) चरण, और उसके बाद 18 और 19 नवंबर 2026 को समुद्री चरण। सी विजिल-26 भारत की संपूर्ण तटरेखा और अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में फैला है और इसमें सभी तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा मछुआरा और तटीय समुदायों सहित अन्य समुद्री हितधारक शामिल हैं। भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, तटीय सुरक्षा पुलिस, सीमा शुल्क और अन्य समुद्री एजेंसियों की परिसंपत्तियां इसमें भाग ले रही हैं, और अभ्यास के संचालन में रक्षा; गृह; पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, केंद्र की अन्य एजेंसियों और तटीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर सहयोग कर रहे हैं। 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए गए उपायों को परखने के लिए 2018 में परिकल्पित यह अभ्यास भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक थिएटर स्तरीय तत्परता परिचालन अभ्यास (ट्रोपेक्स) की तैयारी का भी हिस्सा है। मंत्रालय के अनुसार सी विजिल-26 समुद्री सुरक्षा और तटीय रक्षा के प्रति देश की तैयारी का यथार्थपरक आकलन प्रदान करेगा।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2335093

7 कोलंबो में बिम्सटेक स्वास्थ्य मंत्रियों की पहली बैठक में सर्वसम्मति से संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य अपनाया गया; भारत जामनगर के आईटीआरए में पारंपरिक चिकित्सा में बिम्सटेक उत्कृष्टता केंद्र की मेजबानी करेगा

First BIMSTEC Health Ministers' Meeting in Colombo unanimously adopts Joint Ministerial Statement; India to host BIMSTEC Centre of Excellence in Traditional Medicine at ITRA, Jamnagar

SSC • Banking • Railway • Health • General

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 11 नवंबर 2026 को जारी रिलीज़ के अनुसार श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित बिम्सटेक स्वास्थ्य मंत्रियों की पहली बैठक में सर्वसम्मति से एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य अपनाया गया, जिसमें सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, क्षेत्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के प्रति सदस्य देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों को एक साथ लाने वाली इस बैठक की अध्यक्षता श्रीलंका के स्वास्थ्य और मास मीडिया मंत्री डॉ. नलिंडा जयतिसा ने की और इसकी मेजबानी श्रीलंका सरकार ने की। बैठक में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संशोधित बिम्सटेक कार्य योजना (2026-2030) भी अपनाई गई। श्री नड्डा ने कहा कि यह बैठक अप्रैल 2025 में बैंकॉक में हुए छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के बीच सहयोग के लिए एक समर्पित प्रणाली स्थापित करने के निर्णय के बाद हुई है। वक्तव्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और सतत विकास लक्ष्य 3 के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, और इसमें स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठकें और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें हर दो साल में आयोजित करने के निर्णय की पुष्टि की गई; 2028 में दूसरी बैठक की मेजबानी करने के थाईलैंड के प्रस्ताव का स्वागत किया गया। श्री नड्डा ने गुजरात के जामनगर स्थित आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) में पारंपरिक चिकित्सा में बिम्सटेक उत्कृष्टता केंद्र की मेजबानी करने की भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा की, जिस पहल का वक्तव्य में स्वागत किया गया। बैठक के इतर श्रीलंका की 1990 सुवा सेरिया आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के लिए 100 अतिरिक्त पूरी तरह सुसज्जित एम्बुलेंस की आपूर्ति हेतु 1,725.73 मिलियन श्रीलंकाई रुपये (लगभग 5.28 मिलियन अमरीकी डालर) की भारतीय अनुदान सहायता के तहत समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान हुआ, और श्री नड्डा ने श्रीलंका में 50 मेडिकल कियोस्क/हेल्थ एटीएम के लिए भारत की सहायता की घोषणा की।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2335080

8 डीजीएफटी ने घरेलू रीसाइक्लिंग और महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास (आईटीसी (एचएस) कोड 85491400) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया

DGFT prohibits export of Lithium-Ion Battery Black Mass (ITC(HS) Code 85491400) to strengthen domestic recycling and critical mineral recovery

SSC • Banking • Railway • General

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 11 नवंबर 2026 को बताया कि वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने आईटीसी (एचएस) कोड 85491400 के अंतर्गत आने वाले लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। 10 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना संख्या 49/2026-27 के माध्यम से इस मद की निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक बदलाव करते हुए इसे 'मुक्त' (फ्री) श्रेणी से हटाकर 'प्रतिबंधित' (प्रोहिबिटेड) श्रेणी में रखा गया है; इस पर विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.05 के तहत निर्धारित संक्रमणकालीन प्रावधान लागू होंगे। ब्लैक मास वह चूर्णनुमा पदार्थ है जो उपयोग की अवधि पूरी कर चुकी लिथियम-आयन बैटरियों और बैटरी विनिर्माण से निकलने वाले अपशिष्ट को टुकड़ों में काटने से प्राप्त होता है, और इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज सहित महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति योग्य मात्रा होती है। सरकार के अनुसार भारत इन खनिजों में से कई की आपूर्ति के लिए बहुत हद तक आयात पर निर्भर है, और पर्याप्त कच्चा माल (फीडस्टॉक) उपलब्ध न होने के कारण देश की बैटरी अपशिष्ट रीसाइक्लिंग क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं हो पा रहा है, जबकि ब्लैक मास का निर्यात इस संसाधन को विदेशों में भेज देता है। प्रतिबंध का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में उत्पादित ब्लैक मास की रीसाइक्लिंग और शोधन देश के भीतर ही हो; सरकार को उम्मीद है कि इससे घरेलू रीसाइक्लिंग और शोधन इकाइयों के लिए फीडस्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू पुनर्प्राप्ति बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप आयात पर निर्भरता कम होगी। यह उपाय राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) का पूरक है, जिसमें सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना भी शामिल है, जिसका उद्देश्य बैटरी अपशिष्ट और ई-कचरे जैसे द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के लिए रीसाइक्लिंग क्षमता विकसित करना है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2335019

आज का अभ्यास — 5 प्रश्न

प्र.1 जेडएसआई और आईसीएआर-सीएमएफआरआई के वैज्ञानिकों द्वारा हिंद महासागर से पहचानी गई गहरे समुद्र की शार्क की नई प्रजाति, जिसे आम तौर पर इंडियन ब्रैम्बल शार्क कहा जाता है, का वैज्ञानिक नाम क्या है?

(A) एकिनोराइनस ब्रूकस (Echinorhinus brucus)
(B) एकिनोराइनस कुकी (Echinorhinus cookei)
(C) एकिनोराइनस रोइनी (Echinorhinus roinee)
(D) राइनकोडॉन टाइपस (Rhincodon typus)

प्र.2 प्रधानमंत्री कार्यालय की 10 नवंबर 2026 की रिलीज़ के अनुसार भारत का 100वां शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बना है?

(A) आर. प्रज्ञानानंद
(B) डी. गुकेश
(C) अनुज श्रीवत्री
(D) विश्वनाथन आनंद

प्र.3 तुर्किए के अंताल्या में यूएनएफसीसीसी कॉप31 में भारत ने पेरिस समझौते के किस प्रावधान के मूलभूत महत्व को रेखांकित किया, जो विकसित देशों के लिए विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का दायित्व तय करता है?

(A) अनुच्छेद 4.1
(B) अनुच्छेद 6.2
(C) अनुच्छेद 7.1
(D) अनुच्छेद 9.1

प्र.4 9 नवंबर 2026 से एंटी-कैंसर फॉर्मूलेशन की संशोधित एमआरपी किस संस्था द्वारा 137 कैंसर-रोधी दवाओं के एमआरपी पर ट्रेड मार्जिन की सीमा तय किए जाने के बाद लागू हुई?

(A) राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)
(B) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)
(C) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)
(D) केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ)

प्र.5 चेन्नई में संपन्न हुए भारत-म्यांमार प्रथम त्रि-सेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास 'राहत मित्र' के दौरान आयोजित टेबल-टॉप अभ्यास (टीटीएक्स) किस स्थिति पर आधारित था?

(A) बड़ा भूकंप
(B) सुनामी
(C) भूस्खलन
(D) भीषण चक्रवात

उत्तर: 1-(C) 2-(C) 3-(D) 4-(A) 5-(D)

रोज़ सुबह 7 बजे यही PDF Telegram पर: t.me/parikshasaathiapp — चैनल से जुड़ें और दोस्तों को भेजें

रोज़ का PDF: parikshasaathi.com/daily-pdf — सभी संस्करण: parikshasaathi.com/downloads/

वेबसाइट: parikshasaathi.com (हिंदी + English में 248 पाठ, रोज़ का करंट अफेयर्स, परीक्षा नोटिस)

ऐप: Pariksha Saathi — Free, Offline, SSC/Bank की पूरी तैयारी। प्रकाशक: Mahesh Srivastava, Founder. सामग्री आधिकारिक विज्ञप्तियों से AI की सहायता से तैयार; किसी विषय-विशेषज्ञ संपादक द्वारा समीक्षित नहीं। ग़लती दिखे तो parikshasaathi.com/contact/ पर बताएँ।